भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3018

16 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

शहरी विकास योजनाएं

3018. श्री अनुराग शर्मा:
श्री रेबती त्रिपुरा:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री सौमित्र खान:
श्री विजय कुमार दुबे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्तर प्रदेश राज्य सहित विशेषकर झांसी और ललितपुर, त्रिपुरा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित की जा रही शहरी विकास योजनाओं की संख्या कितनी है और इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान शहरी विकास योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोगिता की गई निधि कितनी है;
(ग) उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;
(घ) विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ड.) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान शहरी विकास योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोगिता की गई निधि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि शहरी विकास के लिए राज्यों को आवंटित निधि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार ने इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) शहरी विकास राज्य का विषय है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने मिशनों अर्थात अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटीज

मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) और प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड और जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सहायता करता है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और इन योजनाओं द्वारा उपयोगिता की गई केंद्रीय सहायता (सीए) अनुलग्नक - I में दी गई है। झांसी और ललितपुर, त्रिपुरा, झारखंड और जम्मू और कश्मीर की स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक - II में दिया गया है।

(ग) से (छ) आवंटित और उपयोगिता की गई धनराशि के ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है। योजनाओं को संबंधित मिशनों अर्थात मार्च 2023 तक अमृत, जून, 2023 तक एससीएम और 2022 तक पीएमएवाई-यू के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (वर्ष 2014 में शुरू किया गया) के तहत शुरू की गई चालू परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताएं 31.03.2023 तक जारी रहेंगी। बैठकों, वीडियो कांफ्रेंसिंग, क्षेत्रीय दौरों, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से युक्त संस्थागत तंत्र और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर पर मिशनों / योजनाओं की प्रगति की लगातार निगरानी की जाती है। पीएमएवाई-यू के तहत, आवासों की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए योजना के तहत वैकल्पिक और नवीन प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही, आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 150 दिनों की चुनौती के साथ एक पुरस्कार तंत्र शुरू किया गया है।

'शहरी विकास योजनाओं' के संबंध में 16 दिसंबर, 2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - I

केंद्र सरकार द्वारा जारी धनराशि और उपयोगिता का ब्यौरा

1. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

(करोड़ रू. में)

#	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		जारी धनराशि	प्राप्त यूसी	जारी धनराशि	प्राप्त यूसी	जारी धनराशि	प्राप्त यूसी	जारी धनराशि	प्राप्त यूसी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.81	0.81	4.32	4.32		-		
2	आंध्र प्रदेश	91.39	91.39	246.69	80.84		-		
3	अरुणाचल प्रदेश	9.48	9.48	17.63	17.63		-		
4	असम	-	-	-	-		-	179.64	
5	बिहार	136.98	136.98	-	-	685.93	-		
6	चंडीगढ़	16.13	16.13	26.32	16.48		-		
7	छत्तीसगढ	205.95	205.95	145.67	145.67	415.55	-		
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.76	0.76	4.27	4.27		-	4.16	
9	दमन और दीव	1.54	-	-	-		-		
10	दिल्ली	-	-	151.55	123.27		-	206.20	
11	गोवा	-	-	-	-		-		
12	गुजरात	104.78	104.78	1,074.58	1,074.58		-	73.61	
13	हरियाणा	-	-	289.71	289.71	147.18	147.18	147.18	
14	हिमाचल प्रदेश	30.58	30.58	60.23	60.23	56.73	45.09	66.71	
15	जम्मू और कश्मीर	-	-	154.35	93.24		-		
16	झारखंड	84.00	84.00	135.22	84.66	109.62	-		
17	कर्नाटक	544.01	544.01	710.54	710.54	280.50	280.50	125.93	5.74
18	केरल	-	-	194.74	194.74	399.25	148.32		26.94
20	लक्षद्वीप	-	-	0.70	0.70	0.41	-		
21	मध्य प्रदेश	952.71	952.71	925.00	755.62		-		
22	महाराष्ट्र	825.71	825.71	-	-	1,244.21	401.71		
23	मणिपुर	63.75	63.75	-	-	66.06	19.94		
24	मेघालय	-	-	-	-		-	22.69	
25	मिजोरम	49.21	49.21	-	-	45.27	37.44		
26	नागालैंड	8.14	8.14	12.03	12.03		-	43.52	
27	ओडिशा	78.25	78.25	312.83	294.67		-		
28	पुदुचेरी	-	-	12.73	12.73	9.19	6.98	9.19	
29	पंजाब	96.96	96.96	-	-	121.44	109.74	280.27	
30	राजस्थान	419.13	419.13	143.91	143.91	586.54	446.46		
31	सिक्किम	-	-	5.30	5.00		-		
32	तमिलनाडु	735.43	735.43	377.16	377.16	278.84	152.89	1,454.55	
33	तेलंगाना	135.49	135.49	178.82	149.30	350.70	92.02		
34	त्रिपुरा	-	-	-	-	26.21	26.21	26.21	26.21
35	उत्तर प्रदेश	260.00	260.00	226.03	226.03	964.37	916.25	821.37	
36	उत्तराखंड	42.74	42.74	122.01	122.01	113.39	53.94	147.02	
37	पश्चिम बंगाल	445.14	445.14	153.30	153.30	245.82	179.48	240.65	
	कुल	**5,339.07**	**5,337.54**	**5,685.64**	**5,152.63**	**6,147.21**	**3,064.16**	**3,848.90**	**58.89**

यूसी: उपयोगिता प्रमाणपत्र

2. <u>स्मार्ट सिटीज मिशन</u>

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	मिशन अवधि के दौरान जारी कुल केंद्रीय सहायता	मिशन अवधि के दौरान भारत सरकार की निधियों का उपयोग
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	45.50
2.	आंध्र प्रदेश	568.00	302.20	198.50	149.50	1,824.20	1,657.42
3.	अरुणाचल प्रदेश	98.00	100.00	86.00	0.00	304.00	157.03
4.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	61.08
5.	बिहार	275.00	0.00	0.00	0.00	510.00	313.45
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	98.00	294.00	274.98
7.	छत्तीसगढ़	142.00	0.00	98.00	69.00	543.00	464.22
8.	दादर और नगर हवेली	102.00	0.00	0.00	0.00	104.00	39.71
9.	दमन और दीव	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	31.26
10.	दिल्ली	0.00	0.00	98.00	0.00	294.00	203.63
11.	गोवा	83.80	0.00	0.00	0.00	196.00	115.83
12.	गुजरात	713.00	300.00	147.00	147.00	1,870.00	1,772.76
13.	हरियाणा	41.00	0.00	166.00	68.00	490.00	422.00
14.	हिमाचल प्रदेश	40.00	0.00	117.00	68.00	439.00	368.50
15.	जम्मू और कश्मीर	80.00	0.00	136.00	68.00	322.00	228.80
16.	झारखंड	0.00	196.00	98.00	0.00	490.00	395.46
17.	कर्नाटक	319.00	223.00	196.00	639.00	2,213.00	1,682.48
18.	केरल	176.00	1.51	0.00	0.00	391.51	350.77
19.	लक्षद्वीप	58.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.25
20.	मध्य प्रदेश	339.00	694.00	153.50	55.50	2262.00	2,169.51
21.	महाराष्ट्र	176.00	119.23	294.00	419.77	2,405.00	2,054.14
22.	मणिपुर	6.00	79.00	0.00	0.00	196.00	143.86
23.	मेघालय	53.00	0.00	0.00	0.00	55.00	22.01
24.	मिजोरम	58.00	0.00	68.00	0.00	128.00	50.89
25.	नागालैंड	6.00	79.00	0.00	0.00	196.00	191.58

26.	ओडिशा	6.00	203.93	0.00	49.00	644.93	588.00
27.	पुदुचेरी	3.00	0.00	8.00	0.00	111.00	40.04
28.	पंजाब	62.00	35.10	0.00	370.00	721.10	384.00
29.	राजस्थान	0.00	98.00	147.00	637.00	1,666.00	1,283.33
30.	सिक्किम	262.00	0.00	147.00	0.00	537.00	536.00
31.	तमिलनाडु	1,238.00	301.62	791.33	727.67	3,978.62	3,376.96
32.	तेलंगाना	46.00	232.00	0.00	0.00	392.00	350.27
33.	त्रिपुरा	0.00	5.10	49.00	0.00	250.10	229.69
34.	उत्तर प्रदेश	698.00	86.00	296.00	800.00	2,516.00	2,005.88
35.	उत्तराखंड	40.00	140.64	51.50	0.00	252.14	224.83
36.	पश्चिम बंगाल	58.00	136.00	0.00	0.00	202.00	201.69
	कुल	**5,856.80**	**3,332.33**	**3,345.83**	**4,365.44**	**2,7359.60**	**2,2467.81**

3. <u>स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू)</u>

(करोड़ रू. में)

		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी धन राशि	प्राप्त यूसी	जारी धन राशि	प्राप्त यूसी	जारी धन राशि	प्राप्त यूसी	जारी धन राशि	प्राप्त यूसी
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.33	0.06	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	52.87	52.87	57.50	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	6.46	6.24	0.00	0.00	5.92	0.00	3.69	0.00
4	असम	55.90	55.90	83.70	33.74	3.34	1.68	3.34	0.00
5	बिहार	123.21	123.21	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	2.08	2.08	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दादरा और नगर हवेली	0.72	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.61	0.29	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	53.13	23.86	3.11	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	3.27	1.21	0.00	0.00	0.36	0.00
12	गुजरात	279.46	114.55	0.00	0.00	25.31	19.61	0.00	0.00
13	हरियाणा	5.65	5.65	58.47	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	6.20	6.20	7.63	7.07	0.00	0.00	7.28	0.00
15	लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर	65.86	43.69	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16	झारखंड	22.56	4.18	1.77	1.77	2.25	0.00	0.00	0.00
17	कर्नाटक	312.73	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	199.01	0.00
18	केरल	52.60	23.39	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	26.72	23.01	36.45	19.67	90.72	0.00
20	महाराष्ट्र	268.68	211.24	286.63	72.79	153.61	153.61	76.77	0.00
21	मणिपुर	23.24	23.24	8.50	3.76	17.93	0.00	0.00	0.00
22	मेघालय	0.00	0.00	3.36	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मिजोरम	0.00	0.00	12.11	9.57	4.48	0.00	8.08	0.00
24	नागालैंड	17.72	17.72	9.89	9.82	6.27	0.00	0.00	0.00
25	ओडिशा	40.77	40.77	100.45	100.45	22.12	0.00	20.43	0.00
26	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.58	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
27	पंजाब	0.00	0.00	102.57	6.31	0.02	0.00	0.00	0.00
28	राजस्थान	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	सिक्किम	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	4.08	0.00
30	तमिलनाडु	374.49	374.49	236.19	236.19	21.08	21.08	22.48	22.48
31	तेलंगाना	19.62	19.62	0.00	0.00	129.64	129.64	0.00	0.00
32	त्रिपुरा	11.46	11.46	20.22	12.45	22.54	3.03	0.00	0.00
33	उत्तर प्रदेश	359.18	280.63	84.01	40.65	485.13	0.00	0.55	0.00
34	उत्तराखंड	20.96	20.66	20.58	11.75	22.23	0.00	39.19	0.00
35	पश्चिम बंगाल	111.82	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**2,407.24**	**1,907.22**	**1,212.04**	**605.17**	**968.94**	**348.32**	**475.98**	**22.48**

यूसी: उपयोगिता प्रमाणपत्र

4. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)				जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)*			
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	-	8.78	-	0.05	0.17	0.46	1.03
2	आंध्र प्रदेश	2,693.98	9,944.95	9,145.96	3,407.62	3,465.39	918.78	2,423.55	80.03
3	अरुणाचल प्रदेश	2.35	13.87	3.55	38.61	11.07	21.31	11.50	27.70
4	असम	52.50	879.39	313.78	459.70	15.08	494.45	129.36	3.49
5	बिहार	1,730.81	917.01	816.53	119.14	504.52	528.23	572.06	18.06
6	चंडीगढ़	3.42	8.24	20.71	1.71	3.42	8.24	20.71	1.71
7	छत्तीसगढ़	1,515.92	549.16	587.08	554.67	419.13	724.64	690.04	213.81
8	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	34.64	32.53	37.65	11.61	27.88	35.89	37.65	11.61
9	दिल्ली	230.17	144.27	131.21	21.97	230.17	144.27	131.21	21.97
10	गोवा	8.99	9.82	69.66	2.96	9.35	9.82	69.66	2.96

11	गुजरात	4,504.54	3,508.84	2,999.68	1,372.12	3,495.03	2,599.32	2,939.82	1,060.00
12	हरियाणा	1,152.04	188.34	275.12	56.73	368.75	247.73	275.12	53.16
13	हिमाचल प्रदेश	5.37	26.01	46.26	33.46	25.21	29.97	31.08	11.78
14	जम्मू और कश्मीर	225.24	162.92	28.48	193.42	34.22	99.78	134.72	2.92
15	झारखंड	269.25	521.46	260.90	554.33	419.66	331.12	538.21	198.99
16	कर्नाटक	2,676.87	1,351.40	980.21	337.98	729.00	702.63	1,161.31	350.74
17	केरल	529.41	185.94	356.42	209.22	660.88	265.94	198.66	41.84
18	लद्दाख	1.90	3.56	-	-	1.79	-	-	4.45
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	3,666.04	1,802.82	1,451.65	862.07	2,722.59	1,044.95	2,559.01	679.66
21	महाराष्ट्र	9,510.99	5,236.41	4,088.68	955.04	2,899.89	2,747.52	3,403.86	1,026.11
22	मणिपुर	218.04	0.10	173.66	90.30	12.19	65.09	101.02	0.05
23	मेघालय	21.94	36.97	14.52	0.13	0.99	0.64	14.62	16.06
24	मिजोरम	5.74	7.89	149.68	0.14	34.07	7.89	71.44	0.14
25	नागालैंड	171.05	92.34	60.17	-	65.31	14.48	106.43	34.12
26	ओडिशा	740.38	189.80	323.44	799.96	411.78	320.97	378.20	85.23
27	पुदुचेरी	55.99	33.17	59.39	3.37	15.45	51.09	49.75	8.36
28	पंजाब	212.08	650.36	300.98	68.92	181.61	188.08	512.20	68.92
29	राजस्थान	834.75	671.43	744.87	253.31	398.11	600.89	726.12	211.82
30	सिक्किम	0.18	0.38	1.22	0.27	1.80	0.38	1.22	0.27
31	तमिलनाडु	2,409.38	2,195.12	1,822.52	421.45	1,408.78	1,942.30	1,612.08	708.64
32	तेलंगाना	341.98	384.76	987.01	101.21	341.98	384.76	757.17	101.21
33	त्रिपुरा	108.32	73.22	218.12	103.97	150.99	166.45	231.79	2.22
34	उत्तर प्रदेश	10,954.14	5,677.49	4,206.70	1,953.01	4,630.95	4,046.36	4,936.00	1,675.48
35	उत्तराखंड	233.45	140.58	143.32	17.45	79.85	79.95	171.62	17.45
36	पश्चिम बंगाल	2,199.08	1,163.91	2,181.38	524.33	1,294.40	931.36	1,621.36	105.80
कुल		**47,320.98**	**36,804.48**	**33,009.28**	**13,530.17**	**25,071.35**	**19,755.44**	**26,619.00**	**6,847.78**

* पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से जारी की गई निधियां शामिल हैं।

'शहरी विकास योजनाओं' के संबंध में 16 दिसंबर, 2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - II

उत्तर प्रदेश में झांसी और ललितपुर, त्रिपुरा, झारखंड और जम्मू और कश्मीर में शुरू किए गए कार्यों की स्थिति

1. <u>अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम (यूटी)	योजना के कार्यान्वयन की स्थिति
उत्तर प्रदेश	अमृत के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11,368 करोड़ रू. की 685 परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें से 1,545 करोड़ रू. की 219 पूर्ण परियोजनाओं सहित 11,318 करोड़ रू. की 659 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। झांसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 781 करोड़ रू. की 9 परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें से 5 करोड़ रू. की 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ललितपुर में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51 करोड़ रू. की 6 परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें से 2 करोड़ रू. की 2 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
त्रिपुरा	त्रिपुरा सरकार द्वारा 160 करोड़ रू. की 10 परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें से 4 करोड़ रू. की 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
झारखंड	अमृत के तहत झारखंड सरकार द्वारा 1,615 करोड़ रू. की 59 परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें से 214 करोड़ रू. की 41 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
जम्मू और कश्मीर (यूटी)	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर द्वारा 524 करोड़ रू. की 83 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 333 करोड़ रू. की 62 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

2. <u>स्मार्ट सिटीज मिशन</u>

(₹करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्मार्ट सिटी	2018-19 के दौरान	2019-20 के दौरान	2020-21 के दौरान	2021-22 के दौरान	मिशन अवधि के दौरान जारी भारत सरकार की कुल धन राशि	मिशन अवधि के दौरान भारत सरकार की निधियों का उपयोग
1	झारखंड	रांची	0.00	196.00	98.00	0.00	**490.00**	**395.46**
2	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	40.00	0.00	68.00	0.00	**127.00**	**87.86**
		जम्मू	40.00	0.00	68.00	68.00	**195.00**	**140.94**
3	त्रिपुरा	अगरतला	0.00	5.10	49.00	0.00	**250.10**	**229.69**
4	उत्तर प्रदेश,	झांसी	22.00	0.00	0.00	136.00	**196.00**	**128.00**

3. **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0)**

झांसी

झांसी खुले में शौच मुक्त++ (ODF++) प्रमाणित शहर है। इस शहर ने वैयक्तिक घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) के लिए 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। सूचित किया गया है कि सभी 60 वार्डों में घर-घर जाकर संग्रह और कचरे को स्रोत पर अलग करने का कार्य किया गया है। झांसी में उत्पन्न 225 टन प्रति दिन (टीपीडी) कचरे में से 97.77% कचरे को शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा संसाधित किया जा रहा है।

ललितपुर

ललितपुर ओडीएफ+ प्रमाणित शहर है। 6,195 इकाइयों के मिशन लक्ष्य में से 6,200 (99.83%) आईएचएचएल इकाइयों का निर्माण किया गया है और सीपी/पीटी के लिए 100% लक्ष्य हासिल किया गया है। सभी 26 वार्डों में घर-घर जाकर संग्रह और स्रोत पर पृथक्कीकरण का कार्य किए जाने की सूचना है। ललितपुर में उत्पन्न 33.55 टीपीडी कचरे में से 100% कचरे को शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा संसाधित किया जा रहा है।

त्रिपुरा

त्रिपुरा के सभी 20 यूएलबी ओडीएफ प्रमाणित हैं और इनमें से 6 ओडीएफ+ के रूप में प्रमाणित हैं। राज्य ने आईएचएचएल और सीटी/पीटी के लिए 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य के कुल 334 वार्डों में से 332 (99%) वार्डों में 100% घर-घर जाकर संग्रह और 328 (98%) वार्डों में 100% स्रोत पृथक्कीकरण का कार्य किया है। राज्य में उत्पन्न होने वाले 325 टीपीडी कचरे में से 54 प्रतिशत का संसाधित किया जा रहा है।

झारखंड

झारखंड के सभी 42 यूएलबी ओडीएफ प्रमाणित हैं और इनमें से 41 ओडीएफ+ के रूप में प्रमाणित हैं। इसके अलावा, 3 को ओडीएफ++ प्रमाणित किया गया है। राज्य ने आईएचएचएल के लिए 100% और सीटी/पीटी में 71% लक्ष्य हासिल किया है। झारखंड में कुल 940 वार्डों में से, 921 (97.9%) वार्डों में 100% घर-घर जाकर संग्रह का कार्य किया जा रहा है और 783 (83.29%) वार्डों में 100 % स्रोत पर पृथक्करण का कार्य किया जा रहा है। झारखण्ड में उत्पन्न 1978 टीपीडी कचरे में से 64% राज्य द्वारा संसाधित किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर के सभी 80 यूएलबी को ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया है। 18 यूएलबी को ओडीएफ + के रूप में प्रमाणित किया गया है। आईएचएचएल की 51,246 इकाइयों को 59,600 इकाइयों के लक्ष्य में से पूरा किया गया है। सीटी / पीटी की 3,329 सीटों को 3,585 सीटों के लक्ष्य में से पूरा किया गया है। राज्य के कुल 1099 वार्डों में से 867 वार्डों में 100% घर-घर जाकर संग्रह का कार्य किया जाता है और 248 वार्डों में स्रोत पर पृथक्करण का कार्य किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में उत्पन्न 949 टीपीडी कचरे में से 38% कचरे को संसाधित किया जा रहा है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)

विवरण	स्वीकृत आवास (संख्या)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	पूर्ण / सुपुर्द आवास (संख्या)	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)
त्रिपुरा	92,128	70,283	53,648	1,477.20	1,029.58
झारखंड	2,34,778	1,92,203	1,07,136	3,595.15	2,461.86
जम्मू और कश्मीर	48,709	36,611	12,171	747.01	325.93
झांसी (यूपी)	37,492	32,266	21,631	572.84	351.82
ललितपुर (यूपी)	23,740	20,783	12,504	356.58	210.54